न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सुपुदर्गी प्रा.पत्र.(6ए)संख्या 22/22 वर्ष 2022
जीसीएमएस–2022/133

बउनवानी:–पुरूषोत्तम उर्फ पप्पू पुत्र मदनमोहन जाति महाजन निवासी शुक्ला कॉलोनी गंगपुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. प्रवर्तन निरीक्षक, गंगापुर सिटी जरिये जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(सुपुदर्गी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

उपस्थित :–1. श्री राधेश्याम वैष्णव — वकील प्रार्थी
2. श्री मुनेश कुमार मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) — पैरोकार, रसद

–: निर्णय :– दिनांक 16.02.2023

प्रार्थी द्वारा कार्यालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 249/2012 अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम उनवानी राजस्थान राज्य बनाम पुरूषोत्तम उर्फ पप्पू में पारित निर्णय दिनांक 13.9.2019 की पालना में प्रकरण में जब्त 31 गैस सलेण्डर को प्रार्थी वापस लोटाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे पेश किया है।

प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी सुनी गयी ।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.9.2019 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि दिनांक 14.12.2012 को श्री रामभजन मीना प्रवर्तन अधिकारी गंगापुर सिटी ने उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के जरिये एक जॉच रिपोर्ट पुलिस थाना गंगापुर सिटी में प्रार्थी के विरूद्व गैस के अवैध भण्डार, रिफलिंग व क्रय विक्रय किया जाकर एल.पी.जी. आदेश–2000 तथा राजस्थान पेट्रो प्रोडक्ट ला. एण्ड कन्ट्रोल आदेश 1990 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना मानते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध मानते हुए प्रार्थी के विरूद्व थाना गंगापुर सिटी मे मुकदमा दर्ज करवाया गया था जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी पुरूषोत्तम उर्फ पप्पू पुत्र मदन मोहन जाति महाजन निवासी शुक्ला कॉलोनी गंगापुर सिटी को अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप मे संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया गया है एवं प्रकरण मे जब्त शुद्वा सिलेण्डर को नियमानुसार निस्तारित करने बाबत लिखा गया है। इसलिए प्रकरण मे जब्त गैस सलेण्डर को प्रार्थी की सुपुदर्गी में दिये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(सुपुदर्गी प्रा.पत्र.(6ए)संख्या 22/2022 उनवानी पुरूषोत्तम बनाम प्रवर्तन निरीक्षक गंगापुर सिटी)

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक, गंगापुर सिटी द्वारा अप्रार्थी पुरूषोत्तम उफ पप्पू पुत्र मदन मोहन जाति महाजन निवासी गंगापुर सिटी के विरूद्व थाना गंगापुर सिटी में प्रस्तुत प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाकर प्रकरण मे जब्तशुद्वा गैस सलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण अपील या रिवीजन अवधि समाप्त के पश्चात किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये है। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13.9.2019 के विरूद्व जिला रसद कार्यालय द्वारा अपील नही की गयी है। चूंकि प्रकरण मे प्रार्थी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है इसलिए न्यायालय के निर्णय अनुसार गैस सलेण्डर को संबंधित प्रार्थी को लोटाया जा सकता है।

वकील प्रार्थी एवं पैरोकार रसद को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उनवानी प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 13.9.2019 के द्वारा प्रार्थी अभियुक्त पुरूषोत्तम उर्फ पप्पू पुत्र मदमोहन महाजन निवासी शुक्ला कॉलोनी गंगापुर सिटी को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप मे संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया गया है तथा उक्त आदेश के विरूद्व कोई अपील अथवा रिवीजन किये जाने अथवा उक्त जब्त सलेण्डर को राजहित मे जब्त (Confiscate) करवाने बाबत 6(ए) का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा मे पेश किये जाने बाबत कोई साक्ष्य सबूत भी जिला रसद अधिकारी द्वारा पेश नही किया गया है। चूंकि उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को दोष मुक्त किया गया है इसलिए प्रकरण मे जब्त सलेण्डर का निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.9.2019 के विरूद्व कोई अपील अथवा रिवीजन विचाराधीन नही हो तो निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.2.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर